कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

पत्रॉकः 1662 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 28, सितम्बर, 2024।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सतगड़ से धर्मशाला तक 4 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.742 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ – उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 856/X–3–20/1(92)/2020 दिनांक 13.08.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के कम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित है–

क्रम सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानो पर नियमानुसार वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मार्ग के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु0 1,33,100.00 मात्र जमा कर दी गयी है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0स0 –566 एंव भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0स0 –566 एंव भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि रु0 4,87,494.00 मात्र जमा कर चालान रसीद संलग्न कर प्रेषित की गयी है।
3	प्रयोक्ता अभिकारण इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी की दर से बढोत्तरी होती है तो वढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है। (प्रपत्र संलग्न)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या –05–03/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0 एस0बी0 –25229 कार्पोरेशन बैक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक –11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स फेज–01 लोधी रोड नई दिल्ली 110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशिकर मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 तथा प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि की पावती की छाया प्रति व ड्राफ्ट की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एंव भू –वैज्ञानिक के सुझावो का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	भू–वैज्ञानिक की शर्ते मान्य होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखो/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रपत्र संलग्न।
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
8	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।

संलग्नः– यथोक्त।

अतः प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

पत्रांकः– 1662 /12–1 **दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

02

1/23 11:36 AM

Challan

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 16-12-2023

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PIF/Application No.	6142729637
MoEF/SG File No.	1(92)/2020
Address.	PD PWD PITHORAGARH GHANTAKARAN DISTT PITHORAGARH 262501 Pithoragarh
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	pwdpithoragarh@gmail.com 9412144099 5964-225115
Amount(in Rs)	620594/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words:Six Lakh Twenty Thousand Five Hundred and Ninety-Four Rupees Only

Depositor Signature (Signature) — Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

CAMPA-MOEF Copy

यूनियन बैंक Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 16-12-2023

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PIF/Application No.	6142729637
MoEF/SG File No.	1(92)/2020
Address.	PD PWD PITHORAGARH GHANTAKARAN DISTT PITHORAGARH 262501Pithoragarh
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	- pwdpithoragarh@gmail.com 9412144099 5964-225115
Amount(In Rs)	620594/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount In Words :Six Lakh Twenty Thousand Five Hundred and Ninety-Four Rupees Only

Depositor Signature (Signature) — Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 16-12-2023

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PIF/Application No.	6142729637
MoEF/SG File No.	1(92)/2020
Address.	PD PWD PITHORAGARH GHANTAKARAN DISTT PITHORAGARH 262501Pithoragarh
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	pwdpithoragarh@gmail.com 9412144099 5964-225115
Amount(in Rs)	620594/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount In Words : Six Lakh Twenty Thousand Five Hundred and Ninety-Four Rupees Only

Depositor Signature (Signature) — Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Chq No - 953347 Dated 26.12.23

Rs. 620594=00

55288432

Dt:- 9/2/2024

Challan No 953347 Dated 26.12.23

Rs. 620594=00

Executive Engineer
Provincial Divn. P.W.D.
Pithoragarh
Code No.- 1112

यूनियन बैंक Union Bank of India

Executive Engineer
Provincial Divn. P.W.D.
Pithoragarh
Code No.- 1112

CMS Transaction reference No:- 6014020240110352044

Dt: 10.01...

प्रपत्र – 2.11

परियोजना का नाम:– मा0मु0 मंत्री घोषणा संख्या –1351/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र– डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सतगढ़ धर्मशाला तक 4 कि0मी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

आर0 सी0सी0 पीलरों की धनराशि को वहन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण में आर0 सी0सी0 पीलरों की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

प्रारुप–51

जना का नामः– मा0मु0 मंत्री घोषणा संख्या –1351/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र–डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सतगढ धर्मशाला तक 4 कि0मी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ

परियोजना का नाम:– मा0मु0 मंत्री घोषणा संख्या –1351/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र– डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सतगढ़ धर्मशाला तक 4 कि0मी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ह0/–
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

ना का नामः– मा0मु0 मंत्री घोषणा संख्या –1351/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र–डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सतगढ़ धर्मशाला तक 4 कि0मी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण–पत्र

मानक शर्तें

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख–रखाव किया जायेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरीयों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडौर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।

प्रारुप–38

परियोजना का नामः– मा0मु0 मंत्री घोषणा संख्या –1351/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र–डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सतगढ़ धर्मशाला तक 4 कि0मी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख–रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

वन क्षेत्र अधिकारी
डीडीहाट

प्रारुप–51

परियोजना का नाम:– मा0मु0 मंत्री घोषणा संख्या –1351/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र–डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सतगढ़ धर्मशाला तक 4 कि0मी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

(51)

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।
17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता [illegible] द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

ह0/
प्रयोक्ता एजेंसी
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

प्रारुप–7

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF

(for the forest land to be diverted under FCA)

(1) A proposal has been received by this office from **P.W.D. Pithoragarh.** for diversion under FCA-1980) of **0.742 Ha**. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of **Satgarh to Dharamshala Motor road 4.00 km** . The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated 05-12-2019

(2) On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring **0.742 Ha**.

(3) The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. **Yes**

(4) Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :- **No**

(5) xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.- **Not Required**

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation). Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached. No

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal. Hence, **The proposal is recommended for acceptance.**

(Signature)

Place:- Pithoragarh

Date :- 05-12-2019

Name Dr. Vinay Kumar Bhargava
Designation ....प्रभागीय वन अधिकारी
Office Seal ....पिथौरागढ़ वन प्रभाग

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable

As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required

प्रारुप–30.3

परियोजना विवरण :– मा0मु0 मंत्री घोषणा संख्या –1351/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र– डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सतगढ़ धर्मशाला तक 4 कि0मी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
जिला स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

जिला पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा0मु0 मंत्री घोषणा संख्या –1351/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र– डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सतगढ़ धर्मशाला तक 4 कि0मी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.742** हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि **0.00**हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **0.742** हे0 वन भूमि) का **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कनालीछीना) की दिनांक 31.08.018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **श्री सी0 रविशंकर जिलाधिकारी** एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– **श्री सी0 रविशंकर जिलाधिकारी** पिथौरागढ अध्यक्ष
2– श्री विनय कुमार भार्गव प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ सदस्य
3– श्रीमति मंजूला देवी पत्नी श्री महेन्द्र सिंह ग्राम सिर्दाग धारचूला जिला पंचायत सदस्य
4– श्री कमलेश आर्या पुत्र श्री प्रेम राम ग्राम जैंती विकास खण्ड मुनस्यारी जिला पंचायत सदस्य
5– श्री अमर बहादुर चन्द पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द ग्राम दुतीबगड जौलजीबी विकास खण्ड धारचूला जिला पंचायत सदस्य
6– श्री ~~एम0 के0 शर्मा~~ जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव

जिला सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा0मु0 मंत्री घोषणा संख्या –1351/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र– डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सतगढ़ धर्मशाला तक 4 कि0मी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना हेतु **0.742** हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जिला पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा0मु0 मंत्री घोषणा संख्या –1351/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र– डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सतगढ़ धर्मशाला तक 4 कि0मी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.742 हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निमाण विभाग पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुगति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़

जिला समाज कल्याण अधिकारी
पिथौरागढ़

जि0 पं0 सदस्य
सिर्दांग 01

कमलेश आर्या
सदस्य जिला पंचायत
जैंती

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand   Office of the District Collector Pithoragarh

No--- 35   Dated-31.08.018

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.742** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Public Work Department** for in **Pithoragarh** district falls within jurisdiction of Satgarh **(Devkapda, Khateda)** village (s) in **Kanalichhina (Pithoragarh)** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **entire 0.742** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रारूप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pithoragarh** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. C. Ravi Sankar I.A.S deputy commissioner,. .Pithoragarh. on dated 31.8.2018. at time .4.00...at .P.M.. in which application claiming rights in .... area measuring 0.742 hect for the construction of Gram Satgarh Dharmshala Motar Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Kanalichina(Pithoragarh) sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;... Pithoragarh
Dated:. 31.08.2018

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

प्रारुप–30.2

परियोजना विवरण :– मा0मु0 मंत्री घोषणा संख्या –1351/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र– डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सतगढ़ धर्मशाला तक 4 कि0मी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, डीडीहाट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, डीडीहाट

उपखण्ड पिथौरागढ परिक्षेत्र के अन्तर्गत **मा0मु0 मंत्री घोषणा संख्या –1351/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र– डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सतगढ़ धर्मशाला तक 4 कि0मी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य** (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.742** हे0 सिविल सोयम वन भूमि **0.00** हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **0.742** हे0 वन भूमि) का **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील डीडीहाट) की दिनांक 21/06/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ____________, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन आधेकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री [handwritten] उपजिलाधिकारी डीडीहाट अध्यक्ष
2– श्री [handwritten] उप प्रभागीय वनाधिकारी डीडीहाट सदस्य
3– श्री [handwritten] सहायक समाज कल्याण अधिकारी कनालीछीना सदस्य/सचिव
4– श्रीमती कमला देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र सतगढ़ सदस्य
5– श्रीमती राधिका देवी पत्नी श्री कमान सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र ख्वाकोट सदस्य
6– श्री उमेश सिंह पुत्र शेर सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र जमतड़ सदस्य
7– श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री भुवन चन्द्र कापड़ी बी0डी0सी0 क्षेत्र सतगढ़ सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति लेकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **मा0मु0 मंत्री घोषणा संख्या –1351/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र– डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सतगढ़ धर्मशाला तक 4 कि0मी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य** परियोजना हेतु **0.742** हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, डीडीहाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड डीडीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत **मा0मु0 मंत्री घोषणा संख्या –1351/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र– डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सतगढ़ धर्मशाला तक 4 कि0मी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य** परियोजना के निर्माण हेतु 0.742हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कनालीछीना
जनपद पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सदस्य
क्षेत्र पंचायत सतगढ
वि0ख0-कनालीछीना
जिला-पिथौरागढ

उप प्रभागीय वनाधिकारी

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
कनालीछीना
जनपद पिथौरागढ

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कनालीछीना
जनपद पिथौरागढ़

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– मा0मु0 मंत्री घोषणा संख्या –1351/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र– डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सतगढ़ धर्मशाला तक 4 कि0मी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सतगढ़
तहसील कनालीछीना, जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में मा0मु0 मंत्री घोषणा संख्या –1351/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र– डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सतगढ़ धर्मशाला तक 4 कि0मी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.742 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.00 हे0, वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.742 हे0 वन भूमि का **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागढ़** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सतगढ़ द्वारा दिनांक 13/06/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सतगढ़ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

14/6/2018
ह0
ग्राम सचिव
मुहर सहित
ग्राम पंचायत अधिकारी
वि0 ख0 कनालीछीना
पिथौरागढ़

ह0 महेश/वल्लभ
सरपंच
महेश वल्लभ

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित
हरिप्रिया
प्रधान
ग्राम पंचायत – सतगढ़
विकास खण्ड–कनालीछीना

13/06/18
शुभांगिनी
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र- सिरौली
तहसील- कनालीछीना

तहसीलदार
कनालीछीना (पिथौरागढ़)

प्रारुप–30.4

दिनांक 13.6.18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सतगढ़

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	दिनेश चन्द्र कापड़ी	[illegible]
2.	गणेश [illegible] कापड़ी	[illegible]
3.	राधाबल्लभ	[illegible]
4.	कृष्णानन्द	[illegible]
5.	महेश चन्द्र	[illegible]
6.	ईश्वरी दत्त	ईश्वरी दत्त
7.	लक्ष्मी दत्त	[illegible]
8.	शिवदत्त	[illegible]
9	मनोज कापड़ी	मनोज कापड़ी
10	दीपक [illegible]	[illegible]
11	दीपक चन्द्र	[illegible]
12	दीपक कापड़ी	[illegible]
13		[illegible]
14	गिरीश जोशी	रामदत्त
15	रामदत्त	लक्ष्मी दत्त
16	लक्ष्मी दत्त	
17	आनन्द बल्लभ	आनन्द बल्लभ
18		
19	नरेश दत्त	नरेश दत्त
20	प्रकाश चन्द्र कापड़ी	[illegible]
21	खष्टी बल्लभ	[illegible]
22	मथुरा दत्त जोशी	[illegible]
23	मुन्ना चन्द्र जोशी	
24	गिरीश चन्द्र	
25	शंकर दत्त कापड़ी	[illegible]
26	शेखर कापड़ी	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]
28	गोविन्द बल्लभ	[illegible]
29	रमेश चन्द्र	[illegible]
30	चन्द्रशेखर	[illegible]
31	गिरीश चन्द्र कापड़ी	[illegible]
32	आनन्द बल्लभ	आनन्द
32	चन्द्रमणी	चन्द्रमणी
33	दीपक कापड़ी	दीपक

ह0/–
ग्राम प्रधान

महेश बल्लभ
सरपंच

हरिप्रिया
प्रधान
ग्राम पंचायत – सतगढ़
विकास खण्ड–कनालीछीना